सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब: http://uic.gov.in
दूरभाष न0– 0135–2675780, फैक्स न0– 0135–2675779

कैन्टीन के संचालन हेतु निविदा

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में स्थापित कैण्टीन के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों/फर्म/एजेन्सियों/स्वयं सहायता समूहों से दिनांक 22.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक निविदा आमन्त्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 22.11.2017 को ही मध्यान्ह 12 बजे उपस्थित समस्त निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 07.11.2017 से दिनांक 21.11.2017 तक प्रातः 09.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रु0 236.00 नकद भुगतान पर आयोग कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा से सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के विवरण तथा धरोहर राशि आदि का सम्पूर्ण विवरण आयोग की वेवसाईट uic.gov.in पर देखा जा सकता है अथवा किसी भी कार्यदिवस में आयोग कार्यालय से सम्पर्क कर ज्ञात किया जा सकता है। निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार आयोग का होगा।

झरना कमठान,
सचिव

निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 236/–

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में कैण्टीन संचालन हेतु टेण्डर प्रपत्र

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, मसूरी डायवर्जन, रिंग रोड, देहरादून

ठेका अवधि –	दिनांक 01 दिसम्बर 2017 से 30 नवम्बर 2018 तक
निविदा /प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि –	दिनांक 07.11.2017 से 21.11.2017 को प्रातः 09.30 बजे से सांय 06.00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश दिवस को छोड़कर)
निविदा जमा करने की तिथि/समय –	दिनांक 22.11.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि/समय –	दिनांक 22.11.2017 को मध्यान्ह 12.00 बजे

1. **निविदादाता/फर्म का नाम** ....

2. **(क) पत्राचार का पता** ....

....

....

(ख) स्थाई पता ....

....

....

(ग) दूरभाष न0 ....

(घ) मोबाईल न0 ....

3. **धरोहर धनराशि का विवरण** ....

4. **खाद्य एवं पेय पदार्थो की दरों का प्रपत्र संलग्न।**

मैं/हम .... एतद्द्वारा घोषित करता/करते है कि उपरोक्त टैण्डर गुण दोष एवं अनुभव के आधार पर यदि सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा स्वीकृत की जाती है तो मुझे आयोग की समस्त शर्ते/नियम स्वीकार होगें। इसमे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो मेरी जमा धरोहर राशि के रूप में एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जाय।

हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता

संलग्नकः– ठेके से सम्बन्धित शर्ते व अन्य संलग्नक टैण्डर फार्म के साथ संलंग्न है।

नोटः– निविदा दाता को टैन्डर प्रपत्र के साथ अपना पहचान पत्र (पूर्ण पता सहित) की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, मसूरी डायवर्जन, रिंग रोड, देहरादून में कैन्टीन के ठेके को स्वीकृत किये जाने की तिथि से एक वर्ष तक ठेके पर दिये जाने हेतु शर्तें निम्न प्रकार हैं

1. रू0 25,000/— की धरोहर राशि की सीडीआर/एफडीआर जो कि सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग के नाम बंधक होगी, टेण्डर प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. ठेका स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष तक के लिये दिया जायेगा।
3. कैण्टीन का किराया प्रतिमाह रूपये 2,000/— प्रत्येक माह की पांचवीं तारीख तक आयोग कार्यालय में अग्रिम जमा करना होगा। नियत तिथि तक किराया जमा न करने की स्थिति में ठेका निरस्त करते हुए धरोहर राशि आयोग के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
4. उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा कैण्टीन को बिजली, आदि उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस हेतु कैण्टीन संचालित करने वाली फर्म से किराया उसके लिए स्थापित मीटर के अनुसार उपभोग की गई यूनिटों के आधार पर लिया जायेगा।
5. जैसा है जहॉ है के आधार पर निविदा आमन्त्रित की जा रही है।
6. कैण्टीन में कामर्शियल गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। घरेलू गैस सिलेण्डर की अनुमति अनुमन्य नहीं होगी।
7. कैण्टीन संचालक के पास फूड लाईसेन्स का होना अनिवार्य है। कैण्टीन के ठेकेदार को खाद्य पदार्थों/पेय पदार्थों को आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर ही विक्रय करना होगा। यदि कैण्टीन कार्य दिवसों में ठेकेदार द्वारा बन्द रखी जायेगी, तो उनके विरूद्ध प्रतिदिन की दर से अर्थ दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जिसकी राशि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी।
8. पेय पदार्थ / खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता उच्च स्तर की रखी जानी आवश्यक होगी तथा दिन के समय लन्च की व्यवस्था करनी होगी। एक वित्तीय वर्ष में तीन बार खाद्य पदार्थ / पेय पदार्थ की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत प्राप्त होने पर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
9. आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों की मांग पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति उनके कक्ष में करनी होगी।
10. कैण्टीन के सभी कार्मिकों को कैण्टीन तथा आयोग परिसर में आयोग द्वारा तय की गयी वर्दी में रहना आवश्यक होगा।
11. कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी के ऑर्डर पर कार्यालय की बैठकों आदि के लिए आपूर्ति की गयी सामग्री के लिए बिल प्रस्तुत करने पर कार्यालय द्वारा भुगतान किया जायेगा। इसके अलावा अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार मंगाई गई सामग्री का भुगतान स्वयं संबंधित अधिकारी / कर्मचारी द्वारा ही किया जायेगा।
12. खाद्य सामग्री निविदा में अनुमोदित मूल्य सूची के आधार पर देय होगी। कैण्टीन संचालक द्वारा मूल्य सूची पट्टिका कैण्टीन में लगायी जायेगी तथा निर्धारित की गयी दरों पर ही खाद्य सामग्री आपूर्ति करने के लिए कैण्टीन संचालन की बाध्यता होगी।
13. सामान्यतः जलपान गृह का कार्य प्रातः 9:00 बजे से सांय 6.00 बजे तक तथा लन्च का समय 1.30 बजे से रहेगा किन्तु पूर्व सूचना पर आवश्यकता को देखते हुए जलपान गृह उक्त समय से पहले व बाद भी खोलना होगा।
14. अवकाश के दिनों में कार्यालय खुलने की पूर्व सूचना पर जलपान गृह खोलना होगा।

15 खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा एक माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त किया जाएगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

16. भविष्य में किसी भी राजकीय विभाग द्वारा कैण्टीन के कर की देयता की स्थिति उत्पन्न होने पर कैण्टीन संचालक को ऐसे समस्त प्रकार के करों का भुगतान करना होगा।

17. कैण्टीन संचालक को समस्त प्रकार के श्रम कानूनों तथा श्रम विभाग एवं अन्य समस्त विभागों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं नियमों का पालन करना होगा तथा उनको देय समस्त प्रकार के करों का भुगतान कैण्टीन संचालक को करना होगा।

18. प्रचलित कानूनी आवश्यकताओं (यथा पी.एफ. / ई.एस.आई. / वैट) की पूर्ति कैण्टीन संचालक को स्वयं करनी होगी।इस हेतु किसी भी प्रकार की चूक होने पर इसका समस्त उत्तरदायित्व कैण्टीन संचालक का होगा।

19. कैण्टीन संचालक द्वारा सेवायोजित किये जाने वाले समस्त कार्मिक कैण्टीन संचालक के कार्मिक माने जायेंगे तथा इनको किसी भी प्रकार से आयोग का कार्मिक नहीं माना जायेगा तथा कभी भी इनको आयोग से किसी भी प्रकार का भुगतान सीधे नहीं किया जायेगा।

20. निविदादाताओं को संलग्न प्रारूप – "क" में अपनी दरें प्रस्तुत करनी होंगी। न्यूनतम निविदा का निर्धारण निर्धारित प्रारूप – "क" के कालम संख्या 4 एवं 5 के गुणांक के कुल योग के आधार पर, किया जाएगा। न्यूनतम दर एक से अधिक निविदादाताओं के पाये जाने पर अनुभवी एवं अधिकतम टर्नओवर वाले निविदादाता को कैण्टीन संचालन का कार्य सौंपा जाएगा।

21. पैक्ड अथवा डिब्बा बन्द सामग्री को एम.आर.पी. से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जा सकेगा। ऐसा करने पर प्रति केस रूपये एक हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

22. ठेकेदार को ठेके के संबंध में किसी भी प्रकार से किसी भी न्यायालय में आयोग को चुनौती देने अथवा किसी भी प्रकार हेतु अन्य वाद योजित करने का अधिकार नहीं होगा।

23. किसी भी प्रकार की जॉच में गुणवत्ता खराब पाये जाने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी अथवा रूपये पॉच हजार तक का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा।

24. कैण्टीन परिसर / कैण्टीन की विधिवत सफाई ठेकेदार का दायित्व होगा। ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े का निस्तारण किया जाना आवश्यक होगा तथा कूड़े को इधर–उधर फेंके जाने पर ठेकेदार पर अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा।

25. पेयजल की समुचित व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी तथा पेयजल उपकरणों तथा अन्य उपकरणों का समुचित रख–रखाव आवश्यक होगा। आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी भी सामान के क्षतिग्रस्त होने अथवा किसी भी प्रकार की टूट–फूट होने पर उसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

26. भविष्य में ठेकेदार व आयोग के मध्य होने वाले प्रत्येक विवाद का समाधान मध्यस्थता के आधार पर होगा। विवाद होने की दशा में सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा की गयी मध्यस्थ की नियुक्ति ठेकेदार एवं आयोग दोनों को मान्य होगी। इसकी किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकेगी तथा सचिव का निर्णय अंतिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।

27. ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सुरक्षित रहेगा।

28. यदि ठेकेदार पर कोई भी धनराशि बकाया रह जाती है तो उसे भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूला जायेगा।

29. टेण्डर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत एवं कैण्टीन से संबंधित प्रत्येक मामले में निर्णय लेने का अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सुरक्षित रहेगा।

30. कैण्टीन संचालन हेतु सफल ठेकेदार को स्वयं कैण्टीन का संचालन करना होगा किसी भी प्रकार से कैण्टीन संचालन का कार्य किसी अन्य ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकेगा।

31. कैण्टीन संचालक आयोग के अधिकारियों / कर्मचारियों तथा आयोग में आने वाले पक्षकारों की सुविधा हेतु किसी अन्य सामग्री की बिक्री प्रचलित बाजारी दरों पर कर सकेगा।

32. कैण्टीन संचालन हेतु निविदा के माध्यम से सफल निविदादाता को आयोग के साथ उपरोक्त समस्त शर्तों का अनुपालन करने हेतु रू0 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

घोषणा पत्र का प्रारूप

मैं घोषणा करता हूॅ कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग में कैण्टीन संचालन का कार्य मिलने की दशा में मुझे कमांक 1 से 32 तक उपरोक्त वर्णित शर्ते पूर्णतया मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करते हुये कैण्टीन संचालित करने का इच्छुक हूॅ।

हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता

उत्तराखण्ड सूचना आयोग कार्यालय परिसर मसूरी डायवर्जन , रिंग रोड, देहरादून, में स्थित कैन्टीन हेतु संचालक द्वारा दी गयी दरों का विवरण

प्रारूप – "क"

क0 संख्या	खाद्य पदार्थ / पेय पदार्थ का नाम	मात्रा	तीन माह का अनुमानित औसत बिकी	प्रस्तावित दरें	कॉलम सं0 4 एवं 5 का गुणांक
1	2	3	4	5	6
1	चाय (150 एम0एल0)	प्रति कप (डिस्पोजल गिलास या कप में)	7200		
2	लैमन / ग्रीन टी (150 एम0एल0)	प्रति कप	600		
3	कॉफी (150 एम0एल0)	प्रति कप	600		
4	कोल्ड ड्रिंक प्रति बोतल	प्रिंट रेट से अनाधिक्य	50	प्रिंट रेट से अनाधिक्य	प्रिंट रेट से अनाधिक्य
5	छोले / राजमा / कडी चावल	प्रति हाफ प्लेट (150 ग्राम)	150		
6	छोले / राजमा / कडी चावल	प्रति फुल प्लेट (300 ग्राम)	50		
7	परांठा अचार सहित	प्रति पीस	50		
8	पूरी सब्जी	(4 पूरी, 2 सब्जी, रायता अचार) प्रति थाली	50		
9	वैज थाली	(4 रोटी, 2 सब्जी, चावल, रायता / सलाद अचार,) प्रति थाली	50		
10	मट्ठी	प्रति नग (25 ग्राम)	300		
11	बेसन / बूंदी का लडडू / बत्तीसा	प्रति नग (50 ग्राम)	50		
12	बन्द मक्खन	प्रति पीस	50		
13	ब्रेड मक्खन	प्रति पीस	50		
14	पेस्टी	प्रति पीस	50		
15	पैटीज	प्रति पीस	50		
16	मैगी	1 पैकेट बनाने पर	50		
		योग			

हस्ताक्षर
पूरा नाम व पता

नोट – कॉलम संख्या 6 का योग जिस निविदादाता का न्यूनतम पाया जायेगा, वह सफल निविदादाता माना जाएगा।